# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जोधपुर) राज०

पीठासीन अधिकारी :– श्री नेमा राम आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 51/2024

जीसीएमएस नं. :– 2024/73

प्रार्थी :–
राजेश कच्छावाह पुत्र हापूराम जाति माली निवासी नानण तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–
तहसीलदार, तहसील कार्यालय पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :
श्री ओमप्रकाश कच्छावाह प्रार्थी की ओर से
अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर

## "आदेश"

दिनांक : 2/8/25

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है कि ग्राम नानण तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थी व अन्य की सहखातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 160 रकबा 1.0517 हैक्टयर, खसरा नम्बर 160/10 रकबा 0.4450 हैक्टयर, खसरा नम्बर 160/23 रकबा 0.1618 हैक्टयर, खसरा नम्बर 160/26 रकबा 0.1618 हैक्टयर, खसरानम्बर 160/34 रकबा 0.2346 हैक्टयर, खसरा नम्बर 173 रकबा 0.1861 हैक्टयर, खसरा नम्बर 173/5 रकबा 0.1537 हैक्टयर, खसरा नम्बर 247 रकबा 0.1456 हैक्टयर, खसरानम्बर 247/19 रकबा 0.1699 हैक्टयर, खसरा नम्बर 247/21 रकबा 0.2751 हैक्टयर , खसरा नम्बर 247/21 रकबा 0. 2751, खसरानम्बर 430 रकबा 0.7200 हैक्टयर कुल खसरा 11 कुल रकबा 3.7053 हैक्टयर भूमि आई हुई हैं। जिसको आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त आराजी का फौतेदगी म्युटेशन स्वीकृत करते समय प्रार्थी नाम घरेलु बोलचाल वाला नाम राजुराम पुत्र हापूराम इन्द्राज कर दिया गया जिसको दुरूस्त फरमाया जाकर प्रार्थी का सही नाम राजेश कच्छावाह पुत्र श्री हापूराम इन्द्राज करते हेतु उक्त रेकर्ड दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र पेश हैं। प्रार्थी का सही नाम राजेश कच्छावाह पुत्र हापूराम ही है। प्रार्थी के विद्यालय प्रमाण पत्र, परिवार कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पास बुक व अन्य दस्तावेज में प्रार्थी का नाम राजेश कच्छावाह पुत्र हापूराम दर्ज है। इसलिए राजस्व रेकर्ड दुरूस्त फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमि में इन्द्राज राजुराम पुत्र हापूराम के स्थान पर राजेश कच्छावाह पुत्र हापूराम इन्द्राज करने का आदेश फरमावे। मामला प्रथम दृष्टया रेकर्ड दुरूस्ती का है इसलिए न्यायहित मे प्रार्थी का नाम वादग्रस्त आराजी में दुरूस्त फरमाया जावें। अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से विन्रम निवेदन है कि ग्राम नानण की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 160 क्षेत्रफल 1.0517 हैक्टेयर, खसरा नंबर 160/10 क्षेत्रफल 0.4450 हैक्टेयर, खसरा नंबर 160/23 क्षेत्रफल 0.1618 हैक्टेयर, खसरा नंबर 160/26 क्षेत्रफल 0.1618 हैक्टेयर, खसरा नंबर 160/34 क्षेत्रफल 0.2346 हैक्टेयर, खसरा नंबर 173 क्षेत्रफल 0.1861 हैक्टेयर, खसरा नंबर 173/8 क्षेत्रफल 0. 1537 हैक्टेयर, खसरा नंबर 247 क्षेत्रफल 0.1456 हैक्टेयर, खसरा नंबर 247/19

क्षेत्रफल 0.1699 हैक्टेयर, खसरा नंबर 247/21 क्षेत्रफल 0.2751 हैक्टेयर, खसरा नंबर 430 क्षेत्रफल 0.7200 हैक्टेयर कुल खसरा 11 कुल क्षेत्रफल 3. 7053 हैक्टेयर भूमि का राजस्व रेकर्ड दुरूस्त फरमाया जाकर राजुराम पुत्र हापूराम के स्थान पर राजेश कच्छावाह पुत्र हापूराम इन्द्राज किये जाने का तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश फरमावे।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया जो निम्न प्रकार हैं – ग्राम नानण की राजस्व सीमा में खसरा नम्बर 160, 160/10, 160/23, 160/26, 160/34, 173, 173/8, 247, 247/19, 247/21, 430 कुल खसरा 11 कुल रकबा 3.7053 की सहखातेदारी में राजुराम पुत्र हापूराम के स्थान पर राजेश कच्छावाह पुत्र हापूराम दर्ज किये जाने की अनुशंषा की जाती हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा पेश जवाब अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनिमय 1956 काबिल स्वीकार होने से स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है ग्राम नानण की राजस्व सीमा में खसरा नम्बर 160, 160/10, 160/23, 160/26, 160/34, 173, 173/8, 247, 247/19, 247/21, 430 कुल खसरा 11 कुल रकबा 3.7053 की सहखातेदारी में राजुराम पुत्र हापूराम के स्थान पर राजेश कच्छावाह पुत्र हापूराम दुरूस्त कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें। तहसीलदार पीपाड़ शहर को पालना हेतु पृथक से तहरीर जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करें।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 21/8/2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर